International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Impact Factor: 6.340, Volume 04, No. 01(I), January - March, 2022, pp.175-180

भारत में महिला शिक्षा की वर्तमान स्थिति

श्री सत्यनारायण खींची*

सार

आज के आधुनिक युग में प्रत्येक मनुष्य के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है, चाहे वो पुरूष हो या महिला। आज प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित होना अत्यन्त आवश्यक है। आज का युग शिक्षा के प्रचार–प्रसार से पूर्ण विज्ञान का युग है। आज के युग में अशिक्षित होना अभिशाप के समान है। नारी शब्द का अर्थ है गुण प्रधान स्त्री व महिला। पहले के जमाने में नारियों को पढ़ाना उचित नही समझा जाता था। उन्हे पढ़ने के लिए विद्यालय में जाने की अनुमति नही थी। पहले महिलाएं रूढ़िवादी प्रथाओं रूपी जंजीरों में जकड़ी हुईं थीं और इसी कारण से हमारा भारत देश तीव्र गति से विकास नही कर पाया क्योंकि यहां की अधिकतर आबादी अशिक्षित थी। पर अब समय बदल गया है, अब बालिकाऐं विद्यालय जाती हैं, पढ़ती हैं और देश के विकास में योगदान देती हैं। केवल शिक्षित महिला ही अपने परिवार आने वाली पीढ़ी तथा समाज का विकास व उनका मार्गदर्शन कर सकती है। महिला शिक्षा से ही एक विकसित देश का निर्माण हो सकता है।

''आप किसी राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति देखकर उस राष्ट्र के हालात बता सकते हैं।''

पं0 जवाहर लाल नेहरू

किसी भी राष्ट्र के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास में महिलाओं की भूमिका को अनदेखा नही किया जा सकता है। महिला और पुरूष दोनों समान रूप से समाज के दो पहियों की तरह कार्य करते हैं और समाज को प्रगति की ओर ले जाते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में महिला साक्षरता दर मात्र 65.46 फीसदी थी, जबकि पुरूष साक्षरतता दर 82.14 फीसदी थी। उल्लेखनीय है कि भारत की महिला साक्षरता दर विश्व के औसत 79.7 प्रतिशत से काफी कम है और ऐसे ही देश की कुल साक्षरता दर (74.04 प्रतिशत) से भी कम है। देश की आजादी के बाद से साक्षरता में तेजी से वृद्धि हुई है। जहां 1947 में कुल साक्षरता दर मात्र 18 प्रतिशत थी वह बढ़कर 2011 में 74.04 प्रतिशत हो गई थी।

शब्दकोशः *शिक्षा, महिला, विकास, साक्षरता, सामाजिक।*

प्रस्तावना

किसी व्यक्ति या समुदाय को और विशेष रूप से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण साधनों में से एक है। शैक्षिक उपलब्धि का स्तर और साक्षरता दर किसी भी समाज के सामान्य विकास के संकेतक हैं। लैंगिक समानता और महिलाओं का सशक्तिकरण समृद्धि और सतत विकास प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। स्वतंत्रता के बाद से भारत मे राष्ट्रीय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास के लिए रणनीतियों को अपनाया गया जिससे महिलाओं की समग्र स्थिति में तेजी से सुधार हुआ है। भारत में महिलाओं की शैक्षिक स्थितिः– 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में कुल साक्षरता दर 74.04 प्रतिशत है और महिलाओं में साक्षरता दर 65.46 प्रतिशत है। 2001 में देश में महिला साक्षरता करीब 53.67 प्रतिशत थी। देश में

[6] सहायक आचार्य (ई.ए.एफ.एम), राजकीय कन्या महाविद्यालय, टोंक, राजस्थान।

साक्षरता दर 1951 में 18.33 प्रतिशत से बढ़कर 2011 की जनगणना के अनुसार 74.04 प्रतिशत हो गई। महिला साक्षरता दर भी 1951 में करीब 8.86 प्रतिशत से बढ़कर 2011 में 65.46 प्रतिशत हो गई। 1991–2001 की अवधि के दौरान महिला साक्षरता दर में 14.46 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि पुरूष साक्षरता दर में 11.13 प्रतिशत की वृद्धि हुई। महिला साक्षरता दर में वृद्धि पुरूष साक्षरता दर की तुलना में 3.33 प्रतिशत अधिक थी।

आरेख (डायग्राम) – 1951–2011 तक भारत में पुरूषों एवं महिलाओं के बीच की साक्षरता दर

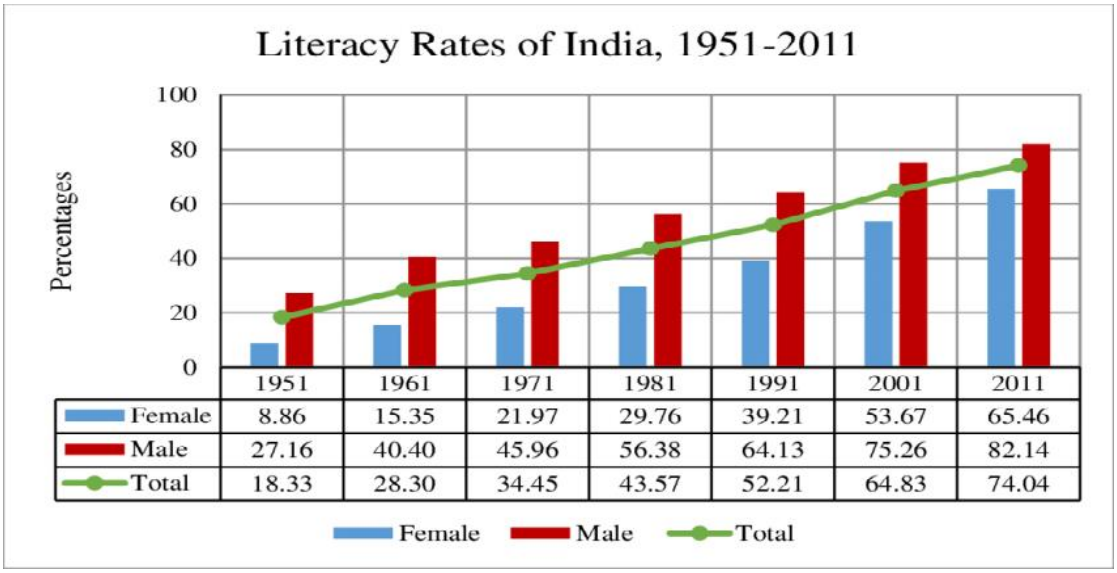

तालिका में भारत के सभी राज्यों में साक्षरता की सामान्य दर के साथ–साथ पुरूषों और महिलाओं के बीच साक्षरता की दर का विवरण दिया गया है।

Literacy Rate in India as per Census 2011

S. No.	State/UT	Literacy Rate percent	Male Literacy Rate percent	Female Literacy Rate percent
1	Andaman & Nicobar Islands	86.3 percent	90.1 percent	81.8 percent
2	Andhra Pradesh	67.4 percent	74.8 percent	60.0 percent
3	Arunachal Pradesh	67.0 percent	73.7 percent	59.6 percent
4	Assam	73.2 percent	78.8 percent	67.3 percent
5	Bihar	63.8 percent	73.5 percent	53.3 percent
6	Chandigarh	86.4 percent	90.5 percent	81.4 percent
7	Chhattisgarh	71.0 percent	81.5 percent	60.6 percent
8	Dadra & Nagar Haveli	77.7 percent	86.5 percent	65.9 percent
9	Daman & Diu	87.1 percent	91.5 percent	79.6 percent
10	Delhi	86.3 percent	91.0 percent	80.9 percent
11	Goa	87.4 percent	92.8 percent	81.8 percent
12	Gujarat	79.3 percent	87.2 percent	70.7 percent
13	Haryana	76.6 percent	85.4 percent	66.8 percent
14	Himachal Pradesh	83.8 percent	90.8 percent	76.6 percent
15	Jammu and Kashmir	68.7 percent	78.3 percent	58.0 percent
16	Jharkhand	67.6 percent	78.5 percent	56.2 percent
17	Karnataka	75.6 percent	82.8 percent	68.1 percent
18	Kerala	93.9 percent	96.0 percent	92.0 percent
19	Lakshadweep	92.3 percent	96.1 percent	88.2 percent
20	Madhya Pradesh	70.6 percent	80.5 percent	60.0 percent
21	Maharashtra	82.9 percent	89.8 percent	75.5 percent
22	Manipur	79.8 percent	86.5 percent	73.2 percent

23	Meghalaya	75.5 percent	77.2 percent	73.8 percent
24	Mizoram	91.6 percent	93.7 percent	89.4 percent
25	Nagaland	80.1 percent	83.3 percent	76.7 percent
26	Orissa	73.5 percent	82.4 percent	64.4 percent
27	Pondicherry	86.5 percent	92.1 percent	81.2 percent
28	Punjab	76.7 percent	81.5 percent	71.3 percent
29	Rajasthan	67.1 percent	80.5 percent	52.7 percent
30	Sikkim	82.2 percent	87.3 percent	76.4 percent
31	Tamil Nadu	80.3 percent	86.8 percent	73.9 percent
32	Tripura	87.8 percent	92.2 percent	83.1 percent
33	Uttar Pradesh	69.7 percent	79.2 percent	59.3 percent
34	Uttarakhand	79.6 percent	88.3 percent	70.7 percent
35	West Bengal	77.1 percent	82.7 percent	71.2 percent
36	Telangana	66.46 percent	74.95 percent	57.92 percent
-	INDIA	74.04 percent	82.14 percent	65.46 percent

Source: Maps of India.Com

भारत सरकार के उच्च शिक्षा विभाग की ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन रिपोर्ट के आधार पर स्कूली एवं उच्च शिक्षा में महिलाओं की सहभागिता में तेजी से सुधार हो रहा है। भारत में स्कूलों की संख्या 15 लाख 07 हजार 708 एवं राजस्थान में यह संख्या 01 लाख 06 हजार 240 है, जिसमें करीब 25 करोड़ विद्यार्थी पढ़ते हैं। इन 25 करोड़ विद्यार्थियों में से 13 करोड़ लड़के एवं 12 करोड़ लड़कियां हैं। ऐसे ही देश में 1043 विश्वविद्यालय एवं 42343 महाविद्यालय हैं एवं राजस्थान में 89 विश्वविद्यालय एवं 3380 महाविद्यालय हैं। उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या 03 करोड़ 85 लाख जिसमें से 01 करोड़ 96 लाख पुरूष एवं 01 करोड़ 89 लाख महिला विद्यार्थी हैं।

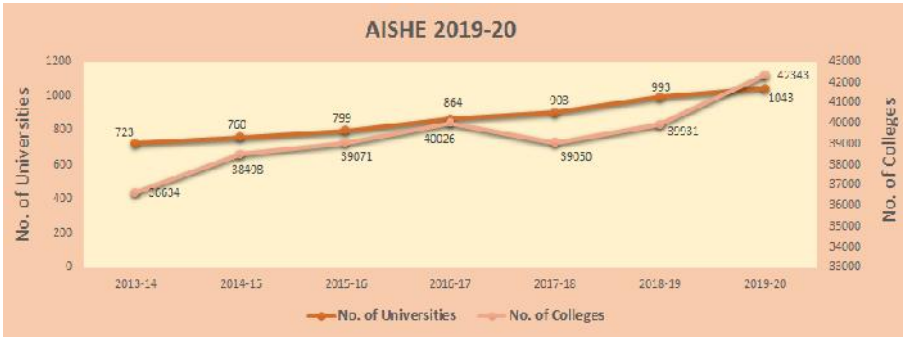

आरेख (डायग्राम) – AISHE 2019–20 कि रिपोर्ट के अनुसार विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों की स्थिति

Source: AISHE

अखिल भारतीय स्तर पर यह देखा जा सकता है कि साक्षरता में लिंग अंतर कम हो रहा है और महिला साक्षरता दर हर दशक में बढ़ रही है। बहरहाल, दो लिंगों के बीच अंतर मौजूद है। आंकड़े बताते हैं कि साक्षरता दर और शैक्षिक उपलब्धियों के मामले में महिलाऐं शुरू से पीछे रही हैं। आंकड़े एक तरह से भारत में परिवारों द्वारा एक पुरूष बच्चे के लिए विषय लिंग–अनुपात और वरीयता को प्रकट करते हैं, जिसके कारण कन्या भ्रूण हत्या जैसी बुराईयां भी हुई हैं। लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच का अंतर वर्षों से और विभिन्न चरणों में जारी है। पिछले कुछ वर्षों में ही प्रति 100 लड़कों पर लड़कियों की संख्या के बीच का अंतर कम हुआ है।

इस शोध का उद्देश्य

- भारत में महिला शिक्षा के महत्व का विश्लेषण करना।
- भारत में महिला शिक्षा में आने वाली बाधाओं एवं चुनौतियों का विश्लेषण करना।
- देश में महिला शिक्षा की वर्तमान स्थिति का पता लगाने के लिए।

क्रियाविधि (Methodology)

इस शोध का अध्ययन पूर्ण रूप से वर्णनात्मक प्रकृति का है एवं द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित राष्ट्रीय डेटा प्रामाणिक और विश्वसनीय स्त्रोत, लेख, राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय स्तर की पत्र–पत्रिकाओं तथा मुख्य रूप से 2011 की जनगणना से लिए गये हैं।

भारत में स्त्री शिक्षा के स्त्रोत (Factors of Women's Education in India)

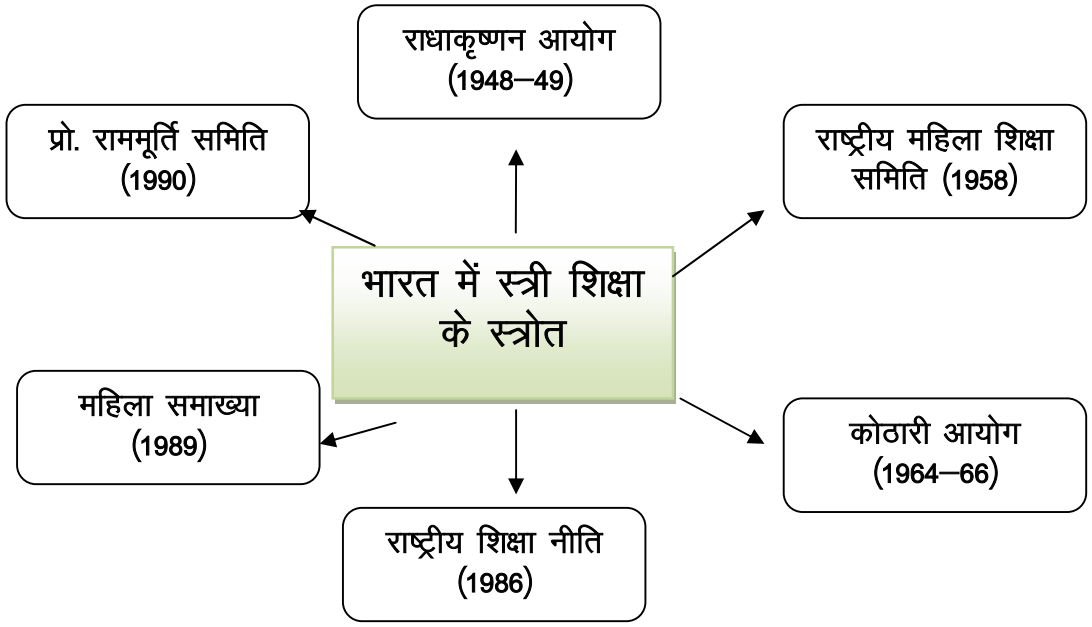

राधाकृष्णन आयोग (1948–49)

- स्त्रियों के लिये शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं को बढ़ाया जाये।
- शिक्षित महिलाओं के बिना शिक्षित व्यक्ति नही हो सकते।
- पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए, जो बालिकाओं को समाज में उच्च स्थान व सम्मान दिला सके।
- स्त्रियों के लिए व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए।

राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति (1958)

- इस समिति को दुर्गाबाई देशमुख समिति कहकर भी पुकारा जाता है।
- सरकार को प्रत्येक राज्य में स्त्री शिक्षा की प्रगति के लिये सुविधा सम्पन्न विद्यालयों की व्यवस्था करनी चाहिये।
- गांवों में स्त्री शिक्षा के प्रसार के लिये विशेष प्रयास करने चाहिए।
- स्त्री शिक्षा के प्रसार के लिये राज्यों में लड़कियों तथा महिलाओं की शिक्षा की राज्य परिषदें गठित की जानी चाहिए।

कोठारी आयोग (1964–66)

- इण्टरमीडिएट स्तर पर बालिकाओं के लिये अलग विद्यालय खोले जाने चाहिए।
- बालिकाओं के लिये अल्पकालीन तथा व्यवसायिक शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए।

- स्त्री शिक्षा के लिये अनुसंधान इकाइयों की स्थापना की जानी चाहिए।
- बालिकाओं की अनिवार्य शिक्षा के लिये और अधिक प्रयत्न किये जाने चाहिए।
- स्त्री शिक्षा के रास्ते में आने वाली सभी कठिनाइयों को समाप्त करने के लिये राज्य व केन्द्र को मिलकर निर्णय लेना चाहिए।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986)

- स्त्रियों की प्राथमिक शिक्षा के रास्ते में आने वाली समस्याओं का समाधान करने की उचित व्यवस्था करनी चाहिए।
- लिंग–भेद जैसे उत्पन्न हो रहे विषयों को जड़ से समाप्त करना चाहिए।
- स्त्रियों की प्रगति के लिये विभिन्न कला–कौशलों से सम्पन्न संस्थानों को खोलना चाहिए। विभिन्न पाठ्यक्रमों में स्त्री शिक्षा के महत्व व अध्ययन हेतु पाठ्य–सामग्री को सम्मिलित करना चाहिए।

महिला समाख्या (1989)

- महिला समाख्या का अर्थ हैः– शिक्षा द्वारा महिलाओं को समानता देना।
- वर्तमान में इस कार्यक्रम में 10 राज्यों के 104 जिलों में चलाया जा रहा है।
- स्त्री शिक्षा के विकास हेतु 1955 में हिन्दू विवाह अधिनियम तथा 1952 में बना विशेष विवाह अधिनियम है।
- सन् 1983 में अपराधिक दण्ड संहिता अधिनियम तथा महिला का अश्लील प्रस्तुतीकरण विरोध अधिनियम 1986 में बनाया गया।

प्रो. राममूर्ति समिति (1990)

- विद्यालयों में बाल विकास, पोषण तथा स्वास्थ्य का समावेश करना चाहिए।
- स्त्रियों की शिक्षा के लिये अलग से धन की व्यवस्था करनी चाहिए।
- छात्र तथा छात्राओं के लिये छात्रवृतियों तथा मुफ्त पाठ्य पुस्तकों का वितरण करना चाहिए।
- विद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में अधिक से अधिक अध्यापिकाओं की नियुक्ति करनी चाहिए।

महिला साक्षरता को बाधित करने वाले कारक

- गरीबी, सामाजिक कुप्रथाएं एवं कुपोषण महिला साक्षरता को बाधित करती हैं।
- लिंग आधारित असमानता एवं रूढ़िवादी सोच।
- सामाजिक भेदभाव और आर्थिक शोषण।
- घरेलू कामो में बालिकाओं का व्यवसाय।
- स्कूलों में लड़कियों का कम नामांकन।

भारत सरकार की महिला सशक्तिकरण की योजनाएं

- Beti Bachao Beti Padhao Scheme
- One Stop Centre Scheme
- Women Helpline Scheme
- UJJAWALA: A Comprehensive Scheme for Prevention of trafficking and Rescue, Rehabilitation and Re-integration of Victims of Trafficking and Commercial Sexual Exploitation
- Working Women Hostel
- Ministry approves new projects under Ujjawala Scheme and continues existing projects

- SWADHAR Greh (A Scheme for Women in Difficult Circumstances)
- NARI SHAKTI PURASKAR
- Awardees of Stree Shakti Puruskar, 2014 & Awardees of Nari Shakti Puruskar
- Awardees of Rajya Mahila Samman & Zila Mahila Samman
- Mahila police Volunteers
- Mahila Shakti Kendras (MSK)
- NIRBHAYA

निष्कर्ष

लिंग की समानता से तात्पर्य है कि स्त्री व पुरूष में उनके लिंग के आधार पर कोई भेदभाव न करते हुये, उन्हे एक समान अधिकार प्राप्त हों। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय हमारे देश में स्त्रियों की दशा बहुत ही दयनीय व सोचनीय रही है। कुछ लोग स्त्रियों को बोझ मानते हैं। इसलिये बालिका के जन्म लेते ही उसे मार देते हैं या फिर आजीवन तुच्छतापूर्ण व्यवहार करते हैं। स्त्रियों की स्थिति सुधारने व इनका प्रगतिशील विकास करने के लिये हमें मिल–जुलकर सोचना होगा व इसके लिये ठोस कदम उठाने होंगे। इसके लिये पुरूषों के समान स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। वर्तमान में हमारे देश की स्त्रियों की स्थिति में बहुत सुधार आया है। उनकी पारिवारिक, सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक स्थिति में क्रान्तिकारी परिवर्तन आये हैं। स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन का प्रमुख श्रेय स्त्री शिक्षा के प्रचार तथा प्रसार को जाता है।

पं0 जवाहर लाल नेहरू के अनुसार '' मुझे सौ शिक्षित पुरूषों की अपेक्षा दस शिक्षित स्त्रियों की आवश्यकता है, जिससे सम्पूर्ण राष्ट्र शिक्षित होगा।''

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. Lok Sabha Secretariat, New Delhi, Reference Note - July 2018
2. डॉ0 रमेश बैरवा, सम्पादक राष्ट्रदूत – 08 जनवरी 2022
3. ग्रामीण विकास समीक्षा, महिला सशक्तिकरण विशेषांक, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद, भारत
4. Sarkariguider
5. डॉ0 वंदना कुमारी पूर्व शोध छात्रा, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, बिहार।
6. wcd.nic.in
7. राजस्थान सुजस, सूचना जनसम्पर्क विभाग, जयपुर (जुलाई 2021–जनवरी 2022)
8. Researchgate.net
9. News Channel, BBC, Aaj Tak, News Nation, Zee Business etc.
10. https://censusindia.gov.in
11. https://aishe.gov.in
12. https://www.drishtiias.com
13. मार्च 2020 से जनवरी 2022 तक दैनिक भास्कर, पत्रिका, Financial Express, Times of India आदि से सम्बन्धित विशेष लेख, टिप्पणियाँ एवं सम्पादकीय से एकत्रित की गई सामग्री।

❖◆❖